Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

नारी अदालत एवं लोक अदालत

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विभिन्न राज्य सरकारों को "नारी अदालत" स्थापित करने के लिए प्रस्तावों का आमंत्रण भेजा है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को भेजा गया यह प्रस्ताव "नारी अदालत" योजना का विस्तार करने के लिए है।
- ज्ञातव्य है कि "नारी अदालत" योजना पहले से ही असम और जम्मू–कश्मीर जैसे राज्यों में पायलट के आधार पर चल रहा है।

➢ नारी अदालत क्या है ?

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत "नारी अदालत योजना" ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं का एक समूह है, जो उन महिलाओं की शिकायतों को हल करती है जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है।
- "नारी अदालत" में लगभग 7 से 11 सदस्य होते हैं जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा "न्याय सखियों" के रूप में नामित किया जाता है।
- नारी अदालत योजना वर्ष 2023 में पायलट के आधार पर जम्मू और कश्मीर तथा असम राज्य के 50 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई थी।
- वर्ष 2023–24 में महिला और बाल विकास मंत्रालय में इन दो राज्यों में "नारी अदालत" शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए जारी किए गए थे।
- दिसंबर 2024 तक इन दो राज्यों के 50 ग्राम पंचायतों में चलाए जा रहे नारी अदालत ने कुल 1062 बैठकें की, जिसमें 497 मामले दर्ज किए गए।

- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा "नारी अदालत" को "मिशन शक्ति" के घटक के रूप में शुरू किया गया था।
- "मिशन शक्ति" को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2025–26 तक 15वीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक योजना के रूप में तैयार किया गया था।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार "मिशन शक्ति" का उद्देश्य सभी महिलाओं और लड़कियों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है, उन्हें सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना है।
- नारी अदालत को स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR, Alternate Dispute Resolution) का एक तंत्र माना जाता है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान यानि ADR तकनीकों का एक सेट है, जो मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता आदि जैसे तंत्र के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए बेहतर और समय पर समाधान प्रदान करता है।
- विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका यानि मुकदमेबाजी एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें न्याय में देरी होती है।
- विवादों का जल्द समाधान के लिए ADR जैसे तंत्र काम में आता है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान यानि ADR कम प्रतिकूल और पारंपरिक तरीकों के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम है।

➢ लोक अदालत :

- लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसका उद्देश्य विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना है।
- लोक अदालत विवादों का निपटारा करने का सबसे सरल तरीका है, जिससे मुकदमेबाजी की लागत में काफी कमी आती है।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।

- NALSA (National Legal Services Authoriy) यानि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुसार "कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987" के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए निर्णय को एक सिविल कोर्ट का डिग्री माना जाता है जिसे सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है तथा इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है।
- हालांकि लोक अदालत के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन यदि कोई पक्ष लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके उपयुक्त अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के पास मुकदमा दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं।
- जब कोई मामला एक लोक अदालत में दायर किया जाता है तो अदालत का शुल्क देय नहीं होता है।
- हालांकि यदि कानून की अदालत में लंबित कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है, तो कानून की अदालत में भुगतान की गई राशि को पार्टियों को वापस कर दिया जाता है।
- वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल का जश्न मनाते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक सप्ताह की विशेष लोक अदालत शुरू की गई थी।
- इस मौके पर तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत एक बहुत ही अनौपचारिक प्रौद्योगिकी–आधारित समाधान का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे नागरिकों को विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक, सहमति के तरीके में उनकी संतुष्टि से जुड़े मामले को हल करने के लिए है।
- लोक अदालत में वैवाहिक विवादों, संपत्ति विवादों, मोटर दुर्घटना के दावों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत देश की न्यायिक अदालत प्रणाली का एक अभिन्न घटक है जो वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ाने और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत में पहली लोक अदालत वर्ष 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी।
- लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.

Result Mitra

1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.

2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹

3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹

4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹

5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹

कोर्स या Test Series के लिए

WhatssApp कीजिये

9235313184, 9235446806